भारत: “विजिलांटे” दल को सरकारी सहायता बंद करें

अधिकारों का हनन करनेवालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करें और आंतरिक तौर पर विस्थापित समुदाय की सुरक्षा करें

(रायपुर: जुलाई 15, 2008) ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज अपनी हाल ही में प्रकाशित हुई रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उन सरकारी सुरक्षाकर्मियों और राज्य समर्थित “विजिलांटे” दलों को जवाबदेह ठहराए, जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में 2005 के मध्य से माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ जारी सशस्त्र कार्रवाईयों में आक्रमण, हत्या, और हजारों लोगों को जबरन विस्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं|

ह्यूमन राइट्स वॉच ने सलवा जुडुम की अवैध गतिविधियों से हर प्रकार का सरकारी सहयोग समाप्त करने की माँग की है और संबंधित राज्य सरकारों से कहा है कि वे हजारों विस्थापित लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तुरंत उपाय करें| ह्यूमन राइट्स वॉच ने नक्सलियों से भी कहा है कि वे नागरिकों पर हमले और अन्य दुर्व्यवहार बंद करें|

“‘निष्पक्षता हमारा सबसे बड़ा अपराध है’: भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार, ‘विजिलांटे’ दलों, और नक्सलियों के द्वारा मानवाधिकार हनन” की 182-पृष्ठ की रिपोर्ट सरकारी सुरक्षाकर्मियों, “विजिलांटे” दल, सलवा जुडुम और नक्सलियों के बीच संघर्ष में फँसे आम नागरिकों, विशेषकर स्थानीय आदिवासियों के विरुद्ध होनेवाले मानवाधिकार हनन का लेखा-जोखा है|

ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाया है कि 2005 के मध्य से सरकारी सुरक्षाकर्मियों, अधिकारियों, सलवा जुडुम के सदस्यों ने गाँवों पर हमले किये, ग्रामीणों की हत्या और बलात्कार किया और उनकी झोपड़ियाँ जलाकर उन्हें सरकारी शिविरों में जाने के लिए मजबूर किया| सलवा जुडुम को सरकारी अधिकारी नागरिकों का स्वत:स्फूर्त नक्सल विरोधी

आंदोलन बताते हैं, जो गलत है| ह्यूमन राइट्स वॉच ने 50 से अधिक प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जुटाए हैं, जिनमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाडा और बीजापुर जिलों के 18 विभिन्न गाँवों पर होनेवाले हमलों में सरकारी सुरक्षाकर्मी शामिल थे| इसी दौरान नक्सलियों ने बम विस्फोट किये, नागरिकों का, विशेषकर उन लोगों का अपहरण किया, मारा पीटा, और उन्हें जान से मार दिया, जिन पर उन्हें सलवा जुडुम के समर्थक होने का केवल संदेह था| विस्थापित दसियों हजार लोग (आईडीपीज़) या तो छत्तीसगढ़ के सरकारी शिविरों या पड़ोसी आंध्रप्रदेश राज्य के जंगलों में फँसे पड़े हैं |

ह्यूमन राइट्स वॉच की बाल-अधिकार विभाग की ऐडवोकेसी डायरेक्टर-लेखक और शोध टीम की सदस्य जो बेकर ने कहा "हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार सलवा जुडुम की सहायता से इनकार करती है; लेकिन दर्जनों प्रत्यक्षदर्शीयों ने गाँवों पर होनेवाले सलवा जुडुम के हिंसक हमलों में पुलिस की सहभागिता के बारे में बताया है, जिसमें हत्या, लूट-मार और झोपड़ियाँ जला देना शामिल हैं|" उन्होंने कहा, "छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि "विजिलांटे" दलों को बढ़ावा देने के बजाय वह मानवाधिकार के सम्मान को प्रोत्साहन दे और जवाबदेही का रास्ता अपनाए| "

"निष्पक्षता हमारा सबसे बड़ा अपराध है" छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश में 2007 के अंत और 2008 के प्रारंभ के चार सप्ताहों में किए जानेवाले प्रत्यक्ष घटनास्थल पर जाकर किये हुए शोध पर आधारित है, जिसमें लगभग 175 प्रभावित आम नागरिकों, सलवा जुडुम के नेताओं, सरकारी अधिकारियों, पुलिस और भूतपूर्व नक्सलियों के बयान हैं|

नक्सलियों ने क्रूर ढंग से बदला लिया है और उनकी समझ के अनुसार जो सलवा जुडुम के समर्थक थे उनको और अन्य नागरिकों को मारा-पीटा, उनका अपहरण किया, और उनकी हत्या की| 2005 के मध्य में सलवा जुडुम की कार्रवाईयों के बाद हिंसा में बढोतरी के पहले भी नक्सली उत्पीड़न, लूट-खसोट, हत्या और बाल-सिपाहियों की भर्ती समेत व्यापक मानवाधिकार हनन के दोषी रहे हैं|

ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार इस संघर्ष ने भारत में विस्थापन की यह एक बडी समस्या पैदा की है, जिसमें कम से कम 100,000 लोग या तो छत्तीसगढ़ के सरकारी शिविरों में पहुँच गए हैं, या फिर पड़ोसी राज्य, विशेषरूप से आंध्रप्रदेश चले गए हैं| जो लोग शिविरों में हैं उनके पास सरकारी स्वास्थ सेवा और रोज़गार के अवसर सीमित हैं| आम तौर पर मूलभूत स्वच्छता का पर्याप्त प्रबंध नहीं है|

कुछ शिविर के निवासियों के अनुसार सरकार ने या तो निःशुल्क भोजन में कटौती कर दी है या कभी उसका प्रबंध ही नहीं किया| इस संघर्ष ने कुछ लोगों को दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे स्थानों पर भी विस्थापित होने को मज़बूर किया है, जिसे सरकार शिविर नहीं मानती| ऐसे कितने लोग हैं, इसका कुछ लेखा-जोखा नहीं है और वे किस स्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं इसके बारे में भी अधिक जानकारी नहीं है|

बेकर ने कहा, "हजारों परिवार अपनी भूमि, घर और आजीविका के साधन खो चुके हैं और अब वे अपर्याप्त सहायता के, लोगों से ठूस-ठूस कर भरे हुए, शिविरों में रहते हैं|" उन्होंने आगे कहा, "जो लोग अपने घर लौटना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार उनके पुनर्वास का प्रबंध करें और जो वापस लौटने से आशंकित हैं उनके लिए परिस्थिति बेहतर बनाएँ|"

30,000 से 50,000 तक विस्थापित आंध्रप्रदेश की वन भूमि पर जा बसे हैं और वे दोहरी मार के शिकार हैं| उनकी बस्तियों को अवैध बता कर आंध्रप्रदेश के अधिकारियों ने उन लोगों की अनुमित लिए बिना या उन्हें वैकल्पिक आवास दिए बिना उन्हें बार-बार उजाड़ने और विस्थापित करने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग किया है| वन अधिकारियों ने इन बस्तियों को बार-बार जलाकर राख कर दिया है| ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाया है कि आंध्रप्रदेश सरकार भेदभावपूर्ण नीति का पालन कर रही है, जिसके अंतर्गत इन विस्थापित समुदायों को सस्ती खाद्य सामग्री और रोजगार गारंटी जैसी सरकारी लोक-कल्याण योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित किया जा रहा है| विस्थापित लोगों के बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं क्योंकि आंध्रप्रदेश के स्कूलों में शिक्षा के माध्यम की भाषा भिन्न है| इन विस्थापित लोगों में से बहुत से लोग छत्तीसगढ़ में अपने गाँव लौटने की प्रतीक्षा में हैं|

ह्यूमन राइट्स वॉच की नक्सलियों से मांग है कि वे नागरिकों पर हर प्रकार के हमले तुरंत बंद करें और शिविरों में रहनेवाले लोगों पर बदले की कार्रवाई के बिना उन्हें उनके गाँव लौटने दें|

रिपोर्ट में इस संघर्ष से बच्चों पर पड़नेवाले दुष्प्रभाव को विशेष रूप से दर्शाया गया है| नक्सली काफ़ी समय से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का मुखबिर के तौर पर और

12 साल के बच्चों का सशस्त्र कार्रवाईयों में प्रयोग करते आ रहे हैं| छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उस क्षेत्र में सरकारी सुरक्षाकर्मियों को सहायता देने के लिए विशेष पुलिस कर्मी (एसपीओ) के तौर पर बच्चों को भर्ती किया है और अक्सर अत्यधिक खतरनाक नक्सल विरोधी कार्रवाईयों में उनका प्रयोग किया है| यद्यपि छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्वीकार कर लिया है कि यह गलत है, लेकिन सरकार को एक ऐसी योजना अभी बनानी है, जिसके तहत कम आयुवाले इन विशेष पुलिस कर्मियों की योजनाबद्ध ढंग से पहचान की जाए, उन्हें वहाँ से हटाया जाए और उनका पुनर्वास किया जाए|

इस संघर्ष का बच्चों की शिक्षा पर गंभीर असर पडा है| जब सलवा जुडुम ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो बहुत से बच्चों ने अपहरण के भय से स्कूल जाना बंद कर दिया| नक्सलियों ने बहुत से स्कूलों को इसलिए बर्बाद कर दिया ताकि पुलिस और सलवा जुडुम की कार्रवाईयों में इनका प्रयोग न किया जा सके| काफी स्कूलों को शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है जहाँ भीड़भाड़ के माहौल में विस्थापित बच्चे पढ़ रहे हैं| स्कूलों को शिविरों में पुनःस्थापित कर दिया गया जहाँ भीड़भाड़ के माहौल में विस्थापित बच्चे पढ़ रहे हैं|

प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के अंश:

"जुडुम और पुलिस हमारे गाँव में आए| वे तीन या चार ट्रकों में आए, ... बहुत से पैदल आए ... उन्होंने हमारे गाँव को जला दिया|... करीब छह झोंपड़ियों को आग लगा दी| जब पहली बार वे आए थे, तो वे बड़े सवेरे आए थे — करीब 4 बजे सुबह| पहले उन्होंने कुछ झोपड़ियों में आग लगाई और फिर घोषणा की अगर हम गाँव खाली करके इनजेराम शिविर में नहीं गए तो सारे गाँव का यही हाल होगा और वे सारी झोपड़ियाँ जला देंगे|... उन्होंने सरपंच और पुजारी को भी मारा और अन्य लोगों को भी मारा| जो लोग हमारे गाँव आए थे, उनके पास तीर कमान, लाठियाँ थीं और पुलिस के पास राइफलें थीं| उन्होंने हमारे गाँव की लगभग 20 वर्ष की एक लड़की (नाम नहीं दिया गया है) के साथ का बलात्कार किया| उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और उसे गाँव में छोड़ दिया|"

— छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के मुकुदतौंग गाँव का निवासी, अब विस्थापित, नवम्बर, 2007|

“हम लोगों को पिछले साल केवल एक बार काम मिला था ...|जब मैं)गाँव का नाम नहीं दिया गया है (में रहता था ,मेरे पास खेत था और मैं खेती करता था | अब गांव जंगल में बदल गया है और हम वहां खेती नहीं कर सकते ...हम लोगों की सारी जमीन जायदाद वहाँ)गाँव में (है| अगर हम मरे भी तो अपनी भूमि पर मरना चाहते हैं| हम शिविर में मरना नहीं चाहते|”

— दंतेवाडा जिले के एक शिविर का निवासी ,दिसम्बर |2007

“मेरा पति खाने के लिए अनाज लाने)शिविर से (गाँव वापस गया था| जब वह गाँव पहुँचा ,उन्होंने)नक्सलियों (उसका अपहरण कर लिया ,उसकी जान ले ली और लाश को सड़क पर छोड़ दिया ...|यह पिछले साल (2006)जुलाई में हुआ ...| हम अपने गाँव एक बार भी वापस नहीं गए हैं| मुझे नहीं मालूम कि नक्सलियों ने मेरे पति को क्यों मार डाला|—वह ना कोई सरपंच था ,ना ही कोई पटेल)मुखिया (था| वह एसपीओ)विशेष पुलिस कर्मी (भी नहीं था| वह कुछ भी नहीं था|”

— सरकार द्वारा चलाये जानेवाले सलवा जुडुम शिविर दोरनापल की निवासी, दिसम्बर 2007|